प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –688 / 2022

अनवान : –

1. चिमनदास पुत्र मोटदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर।

–– वादी

बनाम्

1. भंवरदास
2. सरदारदास
3. शरबती
4. भिखी उर्फ माया

} पि0 मोटदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चुरू

5. मदन पुत्र धनी पुत्री मोटदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सदारशहार जिला चुरू।
6. मांगदास पुत्र मोहनदास जाति स्वामी निवासी निवासी भोजासर छोटा तहसील सदारशहार जिला चुरू।
7. कान्ता पुत्री मोहनदास जाति स्वामी निवासी निवासी भोजासर छोटा तहसील सदारशहार जिला चुरू।
8. रामूदास उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक भाई मांगीदास पुत्र मोहनदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188

उपस्थिति :– श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय **दिनांक: 23.05.2023**

रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 328 / 317 की 16.6350 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 के पिता प्रतिवादी स0 5 के नाना व प्रतिवादी स0 6 ता 8 के दादा मोटदास पुत्र प्रेमदास के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 328 / 317 की 16.6350 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 के पिता प्रतिवादी स0 5 के नाना व प्रतिवादी स0 6 ता 8 के दादा मोटदास पुत्र प्रेमदास के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद भूमि वर्तमान में मोटदास पुत्र प्रेमदास के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मोटदास पुत्र प्रेमदास का स्वर्गवास हो चुका है सजरा खानदान के अनुसार मोटदास पुत्र प्रेमदास के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 है। वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद भूमि है जिसमें मोटदास पुत्र प्रेमदास के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 का 1/7, 1/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण स0 5 का 1/7 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण स0 6 ता 8 का 1/7 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण का उक्त वाद भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है।

उक्त वाद भूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण स 1 ता 8 का बाहमी राजीनामा हो चुका है मुताबिक बाहमी राजीनामा के अनुसार प्रतिवादीगण स0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 व 6 ता 8 के पक्ष में परित्याग कर दिया है बाद हक त्याग वाद भूमि में वादी व प्रतिवादीगण स0 1 व 2 का 1/4, 1/4 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी स0 6 तस 8 का 1/4 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वाद वादी डिक्री करवाना चाहते है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन मोहन जोशी ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा खुईया खाता स0 328/317 प्रदर्श–1, वारिसानामा मय शपथ पत्र प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक गुडडी देवी प्रदर्श– 3ए, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक मिरघा देवी प्रदर्श–4 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र मोटदास प्रदर्श–5 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र 6 ए, मोहनदास व मृत्यु प्रमाण पत्र 7 ए, धन्नी व शपथ पत्र प्रदर्श 08 ए व अन्य आधार कार्ड आदि प्रदर्शित करवाए।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश हो चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 328/317 की 16.6350 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 के पिता प्रतिवादी स0 5 के नाना व प्रतिवादी स0 6 ता 8 के दादा मोटदास पुत्र प्रेमदास के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मोटदास पुत्र प्रेमदास का देहांत हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी स0 1 ता 8 है। प्रतिवादी स0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 द्वारा जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एजराज नही है। अतः वाद वादी प्रतिवादीण एवं वादी की आपसी सहमति तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 328/317 की 16.6350 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि मोटदास पुत्र प्रेमदास के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मोटदास पुत्र प्रेमदास का नाम कलमजन किया जाकर वादी, प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादी स0 6 ता 8 को 1/4 हिस्सा संयुक्तत बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23.5.23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –688/2022

अनवान : –

1. चिमनदास पुत्र मोटदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर।

–– वादी

बनाम्

1. भंवरदास
2. सरदारदास
3. शरबती
4. भिखी उर्फ माया

} पि0 मोटदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चुरू

5. मदन पुत्र धनी पुत्री मोटदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सदारशहार जिला चुरू।
6. मांगदास पुत्र मोहनदास जाति स्वामी निवासी निवासी भोजासर छोटा तहसील सदारशहार जिला चुरू।
7. कान्ता पुत्री मोहनदास जाति स्वामी निवासी निवासी भोजासर छोटा तहसील सदारशहार जिला चुरू।
8. रामूदास उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक भाई मांगीदास पुत्र मोहनदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 688 सन 2022 निर्णय दिनांक 23.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 328/317 की 16.6350 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमिमोटदास पुत्र प्रेमदास के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मोटदास पुत्र प्रेमदास का नाम कलमजन किया जाकर वादी, प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा [illegible] 1/4 हिस्सा संयुक्तत बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये [illegible] रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/ [illegible] शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:24 IST
Reason: SelfAttested

आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:24 IST
Reason: SelfAttested